

उत्तर प्रदेश शासन  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 2  
संख्या-04/2023/519202-2-18/2-18-2099/116/2022  
लखनऊ:दिनांक : 12 जनवरी, 2023

**कार्यालय-ज्ञाप**

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रख्यापन का शासनादेश संख्या-33/2022/393/18-2-2022/18-2099/116(ल030)/2022 दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को निर्गत कर दिया गया है। एतद्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 की Standard Operating Procedure(SOP) कार्यान्वयन हेतु संलग्नक अनुसार निर्गत की जा रही है।

संलग्नक:- Standard Operating Procedure (SOP)

अमित मोहन प्रसाद  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 4-अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
- 6-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी उद्योग, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
- 9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रांजल यादव  
सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति - 2022 की क्रियान्वयन योजना (गार्डलाइन्स)**

**Standard Operating Procedure (SOP)**

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु व्यापक स्तर पर नयी एम0एस0एम0ई0 इकाईयों की स्थापना व पूर्व से स्थापित इकाईयों के विस्तारीकरण / विविधीकरण को प्रोत्साहित करने एवं नीति के अंतर्गत अनुमन्य अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों तथा निजी क्षेत्र में विकासकर्ता द्वारा 10 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक एस्टेट/एम0एस0एम0ई0 पार्क/फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 शासनादेश संख्या-33/2022/393/18-2022/18-2099/116(ल030)/2022 दिनांक 28 सितम्बर 2022 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। "उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 की क्रियान्वयन योजना" के माध्यम से नीति में अनुमन्य वित्तीय सुविधायें लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। यह योजना दिनांक 28 सितम्बर 2022 से 05 वर्ष अथवा सरकार द्वारा नयी नीति लागू करने तक प्रभावी रहेगी। योजना के दिशा-निर्देश निम्नवत हैं:-

1. योजना का नाम : उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति- 2022 की क्रियान्वयन योजना।
2. योजना की अवधि : दिनांक 28.09.2022 से 05 वर्ष की अवधि अथवा सरकार द्वारा नयी नीति लागू करने तक।
3. योजना का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण उत्तर प्रदेश
4. योजना के परिचालन हेतु प्राधिकृत विभाग : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग
5. योजना के संचालन हेतु प्राधिकृत सहयोगी संस्था : शासन से अनुमोदित/ चयनित/नियुक्त परियोजना प्रबंधक एजेंसी (Project Management Agency)

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों हेतु अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के संदर्भ में उल्लिखित पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या:-

**6.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम :** जैसा कि एस0एम0एस0ई0 अधिनियम-2006 व उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों में परिभाषित किया गया है। भारत सरकार के नोटीफिकेशन दिनांक 01 जून, 2020 के अनुसार ऐसे उद्यम जिनमें प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरण में पूँजी निवेश रू0 01 करोड़ तक तथा टर्नओवर रू0 05 करोड़ तक हो, सूक्ष्म उद्यम होंगे। लघु उद्यमों हेतु पूँजी निवेश रू0 10 करोड़ तक तथा टर्नओवर रू0 50 करोड़ तक होगा। इसी प्रकार मध्यम वे उद्यम होंगे जिनमें पूँजी निवेश रू0 50 करोड़ तक एवं टर्नओवर रू0 250 करोड़ तक होगा। इस नीति के अंतर्गत प्रस्तावित लाभ विनिर्माण व सेवा क्षेत्र दोनो प्रकार की इकाईयों को देय होगा। सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) के अंतर्गत विनिर्माण संबंधित सेवाओं (मैनुफैक्चरिंग रिलेटेड सर्विसेज) को ही लिया जायेगा। उदाहरण के तौर पर कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट (सी0ई0टी0पी0), कॉमन फैसिलिटी सेन्टर (सी0एफ0सी0), रिसर्च एवं डिज़ाइन सर्विसेज़ आदि को एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत लिया जायेगा।

**6.2 स्थायी पूँजी निवेश:** एमएसएमई इकाईयों द्वारा भवन, संयंत्र, मशीनरी, यूटिलिटीज़, उपकरण और इस तरह की अन्य परिसम्पतियों में किया गया निवेश, जो निवेश अवधि (इलिजिबल इन्वेस्टमेंट पीरियड) के दौरान अंतिम उत्पाद (इण्ड प्रोडक्ट) निर्माण के लिये आवश्यकतानुसार किया गया है, निम्न विवरण के अनुसार स्थायी पूँजी निवेश की गणना के लिये विचार किया जायेगा:-

**6.2.1 भूमि :-** विनिर्माण इकाई हेतु कुल स्थायी पूँजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत पूँजी निवेश भूमि घटक के रूप में रखा जायेगा, जिसका उद्देश्य इकाई के स्थायी पूँजी निवेश की गणना मात्र के लिये ही है। भूमि की लागत पर निवेश प्रोत्साहन सहायता देय नहीं होगी। भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को भूमि की लागत के रूप में माना जायेगा, जिसमें स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान सम्मिलित नहीं होगा। राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की अन्य संस्था से भूमि क्रय करने पर वास्तविक आवंटन मूल्य (पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क को छोड़कर) को भूमि की लागत माना जायेगा।

**6.2.2 भवन :-** भवन का तात्पर्य परियोजना के लिये निर्मित एक नया भवन, जिसमें प्रशासनिक भवन भी शामिल है। विनिर्माण हेतु कुल स्थायी पूँजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत पूँजी निवेश भवन घटक के रूप में रखा जायेगा। संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के लिये बनाया गया भवन, अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) गतिविधियों के लिये बनाया गया भवन, इन हाउस-परीक्षण सुविधाओं (टेस्टिंग फैसिलिटीज़) के लिये बनाया गया भवन, भण्डारण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

गतिविधियों के लिये बनाये गये भवन पर किए गए आवश्यक एवं वास्तविक व्यय की गणना परियोजना लागत में की जायेगी।

**6.2.3 अन्य निर्माण :-** अन्य निर्माण में दीवार और गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़क, बोरवेल, पानी की टंकी, पानी और गैस के लिये आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य संबंधित निर्माण, अग्नि शमन व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष व उपकरण, विद्युत कक्ष, आदि सम्मिलित किए जा सकेंगे।

**6.2.4 प्लांट और मशीनरी :-** प्लांट और मशीनरी से तात्पर्य नये प्लांट और मशीनरी, यूटिलिटीज़, डाइज़ और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरणों से है, जो उत्पाद के निर्माण में सहायक होते हैं। परियोजना लागत में प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने एवं विद्युतीकरण करने का व्यय भी सम्मिलित होगा। विद्युतीकरण लागत में उप-स्टेशन और ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी।

**6.2.5 प्लांट और मशीनरी में गैर-पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिये संयंत्र, केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन और मैटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जो माल परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किये जाते हैं, बिजली उत्पादन के लिये कैप्टिव पावर प्लांट (कैप्टिव पावर प्लांट को प्लांट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी विचारित किया जायेगा, जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये ही किया जाये), गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, पानी की शुद्धि के लिये संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिये संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट/उत्सर्जन या ठोस/गैसीय खतरनाक कचरे के निपटाने की सुविधा सम्मिलित हो, डीजल जेनरेटर सेट्स और बायलर आदि पर हुआ व्यय भी प्लांट और मशीनरी में सम्मिलित किया जा सकता है।**

## 7. आवेदन प्रक्रिया :-

**7.1** इस नीति के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों को प्राप्त करने हेतु आवेदक इकाईयों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

**7.2** अपने आवेदन के साथ इकाईयों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों से संबंधित वांछित प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे। इकाईयों द्वारा किए गये कार्यों यथा मशीनरी, उपकरणों, प्राप्त सेवाओं, आदि के संबंध में किए गए भुगतान का पूर्ण विवरण संबंधित बिल/वाउचर्स के साथ जमा किया जाएगा।

**7.3** ऑनलाइन आवेदन के साथ ही परियोजना के संबंध में डी0पी0आर0 भी संलग्न की जाएगी।

**7.4** ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त समस्त प्रपत्रों व डी0पी0आर0 चार प्रतियों में जिला उद्योग केंद्र में जमा किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8. **सक्षम समितियाँ** : नीति के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु जिला, मंडल एवं राज्य स्तर पर निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाएगा, जिनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। किसी स्तर पर वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अवमुक्ति में उत्पन्न होने वाले विवादों का निस्तारण उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से किया जाएगा तथा समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

### 8.1 जिला स्तरीय समिति :-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. उपायुक्त उद्योग   | - अध्यक्ष    |
| 2. अधिशाषी अभियंता, उ०प्र० लघु उद्योग निगम                               | - सदस्य      |
| 3. वित्त पोषण करने वाली बैंक शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक                      | - सदस्य      |
| 4. अग्रणी जिला प्रबंधक   | - सदस्य      |
| 5. अधिशाषी अभियंता, विद्युत/पी०डब्लू०डी०                                 | - सदस्य      |
| 6. अधिशाषी अभियंता, नगर निगम/संबंधित नगर निकाय                           | - सदस्य      |
| 7. नगर एवं ग्राम नियोजक  | - सदस्य      |
| 8. अधिशाषी अभियंता संबंधित विकास प्राधिकरण/ आवास विकास                   | - सदस्य      |
| 9. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड                              | - सदस्य      |
| 10. आवश्यकतानुसार उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित अन्य तकनीकी/विषय विशेषज्ञ | - सदस्य      |
| 11. उपायुक्त उद्योग द्वारा नामित सहायक आयुक्त उद्योग                     | - सदस्य सचिव |

### 8.2 मण्डल स्तरीय समिति :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त उद्योग   | - अध्यक्ष    |
| 2. संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग  | - सदस्य सचिव |
| 3. उप श्रमायुक्त  | - सदस्य      |
| 4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मण्डलीय अधिकारी                            | - सदस्य      |
| 5. विद्युत विभाग / पी०डब्लू०डी० के मण्डल स्तरीय अधिकारी                       | - सदस्य      |
| 6. संबंधित जनपदों के अग्रणी बैंक अधिकारी                                      | - सदस्य      |
| 7. वित्त पोषण करने वाले बैंकों के मंडल स्तरीय अधिकारी                         | - सदस्य      |
| 8. यथावश्यकता संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा नामित अन्य अधिकारी/तकनीकी विशेषज्ञ | - सदस्य      |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

### 8.3 राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति :

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 - अध्यक्ष
2. योजनाधिकारी/अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0 - सदस्य  
सचिव
3. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्त निगम - सदस्य
4. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक - सदस्य
5. अपर श्रमायुक्त - सदस्य
6. संबंधित विद्युत वितरण के परिक्षेत्रीय प्रबंध निदेशक/पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/उत्तरांचल - सदस्य
7. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सक्षम अधिकारी - सदस्य
8. सदस्य-सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य
9. यथावश्यकता आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 द्वारा नामित अन्य अधिकारी/तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्य
10. मुख्य अभियंता, पी0डब्लू0डी0 - सदस्य

### 8.4 उच्चाधिकार प्राप्त समिति :

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0 - अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त - सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव राजस्व - सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास - सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा - सदस्य
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पी0डब्लू0डी0 - सदस्य
7. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 - सदस्य सचिव
8. यथावश्यकता नामित अन्य अधिकारी/तकनीकी विशेषज्ञ - सदस्य

### 9. नीति के बिंदु संख्या: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.8.2, 5.4.1, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6 एवं 5.5.7 के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया :-

9.1 प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र नव उद्यमियों व विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में स्थापित हैं। इन जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों को उद्यमियों की परियोजना स्थापना के विभिन्न चरणों यथा परियोजना सृजन, भूमि का चिन्हांकन, परियोजना संरचना, वित्त पोषण आदि बिंदुओं पर प्रभावी हैंडहोल्डिंग प्रदान करने हेतु सक्षम बनाया जायेगा एवं इस हेतु प्रत्येक जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में समस्त तकनीकी सुविधाओं युक्त परियोजना सृजन एवं मार्गदर्शन सेल बनाया जाएगा। इस हेतु आवश्यक तकनीकी रूप से दक्ष कंसल्टेंट/चार्टर्ड एकाउंटेंट को जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों में सम्बद्ध किया जाएगा।

**9.1.1** परियोजना सृजन एवं मार्गदर्शन सेल को जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों में सिडबी द्वारा पूर्व से स्थापित स्वावलंबन कनेक्ट डेस्क के साथ समन्वित कर दिया जाएगा। सिडबी की सहायता से प्रदेश के सभी 75 जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्रों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी।

**9.1.2** इस सेल की संरचना व इसमें आने वाले संभावित व्यय का आकलन विशेषज्ञ संस्थाओं यथा सिडबी आदि के माध्यम से कराया जाएगा। प्राप्त आकलन के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों हेतु बजट की व्यवस्था की जाएगी।

**9.1.3** परियोजना सृजन एवं मार्गदर्शन सेल अपने जिलों की आर्थिक संभाव्यता के अनुरूप परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी एवं नव उद्यमियों/स्वरोजगार के लाभार्थियों को हैंडहोल्डिंग/मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगी एवं बैंकों से समन्वय कर वित्त पोषण में भी सहयोग प्रदान करेगी।

**10.** एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु ₹0 2.00 करोड़ तक के कोलेटरल-फ्री ऋण की उपलब्धता बढ़ायी जाएगी। इस हेतु बैंकों द्वारा सी.जी.टी.एम.एस.ई. कवरेज प्राप्त करने के लिए लिया जाने वाला वन टाइम गारण्टी फीस का भुगतान सरकार द्वारा प्रविधानित बजट के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें सूक्ष्म उद्यमी एवं महिला उद्यमियों को वरीयता दी जायेगी।

**10.1** इस सुविधा का लाभ प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) के आधार पर किया जाएगा अर्थात् लाभार्थी द्वारा संबंधित बैंक को वन टाइम गारंटी फीस का भुगतान करने के उपरांत उसकी प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में आवेदन किया जाएगा।

**10.2** लाभार्थी द्वारा आवेदन के साथ बैंक फीस भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा।

**10.3** उपायुक्त उद्योग द्वारा ऐसे प्राप्त समस्त प्रकरणों का परीक्षण करते हुए अपनी संस्तुति के साथ संकलित सूची बजट माँग हेतु मण्डलीय समिति (8.1 के अनुसार गठित) को ऑनलाइन 10 कार्यदिवसों में अग्रसारित कर दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**10.4** मण्डलीय संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा मण्डलीय समिति की बैठक आहूत करते हुए अपनी संस्तुति 07 कार्यदिवसों में राज्य स्तरीय समिति (8.2 के अनुसार गठित) को ऑनलाइन प्रेषित कर दी जायेगी।

**10.5** राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिकतम 15 कार्यदिवसों में प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति करते हुए, बजट माँग शासन को प्रेषित कर दी जाएगी। शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

**11.** प्रदेश में स्थापित होने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा परियोजना स्थापना हेतु भूमि क्रय करने अथवा लीज़ पर प्राप्त करने के क्रम में देय स्टाम्प पर औद्योगिक इकाईयों को इस संबंध में स्टाम्प विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश के क्रम में स्टाम्प शुल्क से छूट निम्नानुसार प्रदान की जाएगी :-

**11.1** पूर्वान्चल एवं बुंदेलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत।

**11.2** मध्यान्चल एवं पश्चिमान्चल (गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत।

**11.3** गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में 50 प्रतिशत।

**11.4** महिला उद्यमियों को प्रदेश में कहीं भी उद्यम स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत।

**11.5** स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा अपने रजिस्ट्री प्रपत्र को हार्ड कापी में समस्त संलग्नकों यथा प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण संस्था के साथ एग्रीमेंट के साथ उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत किया जायेगा। रजिस्ट्री प्रपत्र के साथ प्राप्त की जाने वाली छूट के समतुल्य बैंक गारण्टी प्रपत्र भी जमा किया जायेगा। बैंक गारण्टी प्रपत्र उपायुक्त उद्योग द्वारा संबंधित उपनिबंधक को रजिस्ट्री प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा जहाँ यह रक्षित रहेगा एवं परियोजना पूर्ण होने के उपरांत उपनिबंधक द्वारा अवमुक्त किया जायेगा।

**11.6** रजिस्ट्री/लीज़ प्रपत्र के साथ भूमि प्रदान करने वाले प्राधिकरण/संस्था के सक्षम प्राधिकारी तथा निजी क्षेत्र की भूमि होने की दशा में संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का अनुबंध (एग्रीमेंट) प्रस्तुत किया जाएगा कि प्रस्तावित योजना निर्धारित समय में पूर्ण कर ली जायेगी। यदि परियोजना/इकाई की स्थापना निर्धारित समय में पूर्ण नहीं होती है, तो बैंक गारण्टी भुनाते हुए धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**11.7** उद्योग स्थापना हेतु चिन्हित भूमि किसी सरकारी संस्था यथा: यू0पी0सी0डा0, उद्योग निदेशालय व अन्य विकास प्राधिकरण की होने पर संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में इंगित भूमि की आवश्यकता का परीक्षण कर लिया गया है एवं इकाई की स्थापना हेतु वांछित भूमि ही इकाई को आवंटित की गयी है।

**11.8** उद्योग स्थापना हेतु चिन्हित भूमि निजी होने की दशा में संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग द्वारा इस आशय का प्रमाणीकरण किया जाएगा कि इकाई की स्थापना में वांछित भूमि ही इकाई द्वारा क्रय की गयी है एवं स्टाम्प शुल्क छूट हेतु आवेदन किया गया है।

**11.9** इस प्रकार पूर्ण रूप से प्राप्त रजिस्ट्री/लीज पत्र पर उपायुक्त उद्योग द्वारा साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे इकाई को स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकेगी।

**11.10** परियोजना पूर्ण होने/इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत बैंक गारण्टी अवमुक्ति हेतु आनलाइन आवेदन किया जाएगा। उपायुक्त उद्योग द्वारा स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के उपरांत बैंक गारण्टी अवमुक्ति हेतु अपनी संस्तुति जिला उद्योग बंधु में प्रस्तुत की जाएगी। जिला उद्योग बंधु द्वारा स्वीकृति के उपरांत 07 कार्य दिवसों में संबंधित उपनिबंधक द्वारा बैंक गारण्टी अवमुक्ति कर दी जायेगी।

**12.** प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा किए गये स्थायी पूँजी निवेश के आधार पर निवेश प्रोत्साहन सहायता पूँजीगत उपादान के रूप में निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

क्षेत्र	का प्रकार		
	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
बुंदेलखण्ड एवं पूर्वांचल	25%	20%	15%
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल	20%	15%	10%

**12.1** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाएगी।

**12.2** निवेश प्रोत्साहन सहायता की कुल अधिकतम सीमा रू0 4.00 करोड़ प्रति इकाई होगी।

**12.3** परियोजना हेतु इकाई श्रेणी, भूमि, भवन व अन्य निर्माण, प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण आदि की परिभाषा वही होगी जैसा कि बिंदु संख्या 6 के उपप्रस्तर 6.1 से 6.2.5 तक में दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**12.4** पूँजी उपादान प्राप्त करने हेतु स्थायी पूँजी निवेश में प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण तथा तत्संबंधी भवन में किया गया निवेश सम्मिलित होगा। भवन में किए गये कुल निवेश का 10% प्रतिशत निवेश पूँजी उपादान हेतु पात्र होगा। भूमि की लागत पर पूँजी उपादान देय नहीं होगा।

**12.5** पूँजी उपादान सहायता दो समान किशतों में दी जाएगी। प्रथम किशत परियोजना में आंशिक प्रगति यथा-भवन निर्माण हो जाने पर दी जाएगी तथा अवशेष द्वितीय किशत इकाई द्वारा अपनी क्षमता का कम से कम 50% वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर दी जाएगी।

**12.6** पूँजी उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग को आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अंकित प्रपत्र संलग्न करने होंगे।

**12.6.1** चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.), जिसमें परियोजना के संबंध में मदवार फाइनेंशियल विवरण के साथ-साथ निम्नानुसार प्रपत्र भी संलग्न किए जायेंगे।

**12.6.2** बैंक स्वीकृति/वितरण से संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त पत्र।

**12.6.3** बैंक/एप्रेजलकर्ता संस्था की परियोजना एप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लान्ट, मशीनरी, उपकरण तथा भवन संबंधी सिविल कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।

**12.6.4** प्लांट, मशीनरी, उपकरणों का वस्तुवार, मूल्यवार विवरण जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो, एवं जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया हो कि इन उपकरणों के क्रय संबंधी समस्त बिल/वाउचर्स की जाँच कर ली गयी है एवं अंकित किया जा रहा विवरण नियमानुसार ठीक है।

**12.6.5** भवन निर्माण व अन्य निर्माण वही अनुमन्य होगा जैसा कि बिंदु सं0 6 के उपप्रस्तर 6.2.1 से 6.2.5 तक में उल्लिखित है। निर्माण लागत के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) की रिपोर्ट संलग्न की जाएगी जिसमें निर्माण का मूल्यांकन संबंधित बिल, वाउचर्स के आधार पर किया गया हो। चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा स्पष्ट रूप से भवन व अन्य निर्माण की लागत का अंकन किया जाएगा।

**12.6.6** आवेदक संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉर्पोरेशन/मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/बाईलाज़/पार्टनरशिप डीड, इत्यादि जो भी लागू हो संलग्न किया जाएगा। एकल निवेशक के संबंध में प्रमोटर का स्व-हस्ताक्षरित बायो-डाटा संलग्न किया जाएगा।

**12.6.7** बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित नक्शा संलग्न किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**12.6.8** अकृष्य भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**12.6.9** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**12.6.10** अग्नि सुरक्षा हेतु सक्षम स्तर से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**12.6.11** जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**12.6.12** कारखाना अधिनियम का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**12.6.13** परियोजना हेतु वांछित अन्य लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**12.6.14** इकाई का उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

**13.** नीति के बिंदु संख्या 5.8.2 के अनुसार यदि किसी क्रियाशील इकाई द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो, इकाई द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित निम्नानुसार विवरण अपनी परियोजना रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

**13.1** इकाई का पंजीकरण/उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।

**13.2** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।

**13.3** इकाई द्वारा किए गये नए निवेश के संबंध में बैंक का ऋण स्वीकृति/वितरण पत्र व अप्रेजल रिपोर्ट।

**13.4** इकाई द्वारा किए गये नए निवेश संबंधी बिल, वाउचर्स भी अपलोड किए जायेंगे।

**13.5** विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व इकाई का कुल ग्राँस ब्लॉक संबंधी विवरण, इस संबंध में इकाई के अभिलेखों के आधार पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ग्राँस ब्लॉक प्रमाणित किया जाएगा।

**13.6** विस्तारीकरण/विविधीकरण के उपरांत इकाई का कुल ग्राँस ब्लॉक संबंधी विवरण, इस संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इकाई के अनुमन्य निवेश संबंधी बिल, वाउचर्स के सत्यापन के उपरांत ग्राँस ब्लॉक प्रमाणित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**13.7** चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र कि इकाई द्वारा किए गए निवेश के फलस्वरूप ग्राँस ब्लॉक में 25% वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन क्षमता में भी 25% की वृद्धि हुयी है।

**13.8** इकाई के पिछले तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड स्टेटमेंट भी अपलोड किया जायेगा।

**14.** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमी होने की दशा में इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि ये इकाईयाँ या तो स्वामित्व श्रेणी की हैं अथवा इसमें इस श्रेणी के उद्यमियों की अंशपूँजी न्यूनतम 51% है। इस हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इकाई के वांछित अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

**15.** ₹0 05 करोड़ अथवा इससे अधिक की मशीनरी एवं संयंत्र वाली सभी नयी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर 05 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क से छूट की व्यवस्था मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17-क(1)(क) तथा मंडी नियमावली, 1965 के नियम-137 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगी।

**16.** सूक्ष्म इकाईयों को पूँजी उपादान के साथ-साथ ब्याज़ उपादान भी उपलब्ध होगा। यह ब्याज़ उपादान इकाई द्वारा लिये गए ऋण पर देय वार्षिक ब्याज़ का 50%, 05 वर्षों तक उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 05 वर्षों में ₹0 25 लाख प्रति इकाई होगी। ब्याज़ उपादान प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार आवेदन करना होगा।

**16.1** निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी.पी.आर.)।

**16.2** बैंक का ऋण स्वीकृति/वितरण पत्र।

**16.3** बैंक के लेटर हेड पर इकाई द्वारा भुगतान किए गए ब्याज़ का प्रमाण-पत्र।

**16.4** ब्याज़ उपादान वार्षिक आधार पर दिया जाएगा। उपादान प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा ब्याज़ का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत ही अनुदान का क्लेम किया जाएगा।

**16.5** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 50% के स्थान पर 60% ब्याज़ उपादान दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17. स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए एम0एस0एम0ई0 इकाईयों द्वारा इस संबंध में नामित फैसिलिटेशन एजेंसी को किए गए भुगतान का 20% अधिकतम रू0 05 लाख तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु फैसिलिटेशन एजेंसी नामित की जाएगी। इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर ऑन-बोर्ड होने के उपरांत अपना आवेदन प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन समस्त प्रपत्रों यथा फैसिलिटेशन एजेंसी का बिल व अन्य व्यय के संबंध में विवरण के साथ आवेदन किया जाएगा। सक्षम समितियों के अनुमोदन के उपरांत इकाई को आवेदित लाभ की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
18. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सभी नई औद्योगिक इकाईयों को इकाई प्रारंभ होने के दिनांक से 05 वर्ष तक नियोक्ता के ई0पी0एफ0 की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 18.1 इस हेतु इकाई को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ भुगतान किए गए ई0पी0एफ0 अंशदान का प्रमाण-पत्र व भुगतान के प्रूफ के रूप में बैंक स्टेटमेंट, आदि संलग्न करना होगा।
- 18.2 सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत इकाई को ई0पी0एफ0 अंशदान की प्रतिपूर्ति सीधे इकाई के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से कर दी जायेगी।
19. एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को गुणवत्तापरक उत्पादों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

घटक	इकाईयों का प्रकार					
	सूक्ष्म उद्यम		लघु उद्यम		मध्यम उद्यम	
	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रू0 में)	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रू0 में)	कुल लागत का प्रतिशत	अधिकतम वित्तीय सीमा (लाख रू0 में)
प्रमाणीकरण या अनुमोदन की लागत, प्रमाणीकरण या अनुमोदन के लिए आवश्यक तृतीय पक्ष परीक्षण की लागत	75%	5.00	50%	5.00	25%	5.00
परीक्षण उपकरण के अधिग्रहण की लागत और अंशान्कन लागत सहित प्रयोगशालाओं की स्थापना	75%	5.00	50%	5.00	25%	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आई टी सिस्टम के अधिग्रहण की लागत	75%	2.00	50%	2.00	25%	2.00
एक कर्मचारी के लिए अनिवार्य पेशेवर प्रशिक्षण और योग्यता आवश्यकता की लागत	75%	0.50	50%	0.50	25%	0.50

**19.1** इस हेतु इकाई को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ अधिकृत प्रमाणीकरण संस्था का बिल/वाउचर्स, कराए गये प्रमाणीकरण/अनुमोदन का विवरण, प्रमाणीकरण/अनुमोदन के फलस्वरूप उत्पाद गुणवत्ता सुधार के संबंध में संबंधित सक्षम संस्था का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करना होगा।

**19.2** इसी प्रकार प्रयोगशाला की स्थापना, परीक्षण उपकरणों आदि की स्थापना में हुए व्यय का विवरण एवं संबंधित बिल/वाउचर्स, अंशान्कन की लागत से संबंधित विवरण, बिल/वाउचर्स, प्रयोगशाला की क्रियाशीलता के संबंध में विवरण एवं प्रयोगशाला की स्थापना के फलस्वरूप हुए लाभ के संबंध में विवरण, आदि संलग्न करना होगा।

**19.3** इकाई के कर्मचारियों का विवरण जिनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं प्रशिक्षणदायी संस्था का विवरण संलग्न किया जाएगा।

**19.4** उपरोक्तानुसार वांछित समस्त प्रपत्रों के साथ इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

**19.5** उपायुक्त उद्योग द्वारा आवेदन पत्र के परीक्षणोपरान्त यथावश्यकता विषय विशेषज्ञ/तकनीकी एक्सपर्ट की सेवायें प्राप्त करते हुए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से इकाई का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा एवं अपनी संस्तुति सहित आवेदन पत्र सक्षम स्तर को 07 कार्य दिवसों में अग्रसारित कर दिया जाएगा।

**19.6** सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत इकाई के पक्ष में देय लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से इकाई के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

**20.** एम0एस0एम0ई0 इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट एवं भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री हेतु प्रपत्र दाखिल करने में आने वाली लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस हेतु आने वाले अटॉर्नी शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। अटॉर्नी शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय आवेदनों हेतु रू0 50 हजार एवं अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों हेतु रू0 02 लाख होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**20.1** लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जिसके साथ पेटेंट अथवा रजिस्ट्री में हुए व्यय का पूर्ण विवरण संबंधित बिल/वाउचर्स के साथ संलग्न किया जाएगा।

**20.2** इस संबंध में अटॉर्नी शुल्क में हुए व्यय का पूर्ण विवरण बिल/वाउचर्स के साथ संलग्न किया जाएगा।

**20.3** इकाई द्वारा प्राप्त किए गए पेटेंट/रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। समस्त शुल्कों की प्रतिपूर्ति पेटेंट/रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही की जाएगी।

**20.4** सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत इकाई के पक्ष में देय लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से इकाई के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

**21.** एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को ई0आर0पी0 (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) तथा अन्य आई0सी0टी0 प्लेटफार्मों/सुविधाओं को अपनाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृत ई0आर0पी0 लागू करने में हुए व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 01 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसी प्रकार आई0सी0टी0 सुविधाओं को लागू करने हेतु पूँजीगत लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 05 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

**21.1** लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जिसके साथ ई0आर0पी0/आई0सी0टी0 लागू करने में हुए व्यय का बिल/वाउचर संलग्न किया जाएगा।

**21.2** जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण/स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत अपनी संस्तुति 07 कार्य दिवसों में प्रेषित की जाएगी, जिसके उपरांत सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत डी0बी0टी0 के माध्यम से देय लाभ की प्रतिपूर्ति संबंधित इकाई के खाते में की जाएगी।

**22.** एम0एस0एम0ई0 नीति, 2022 के अंतर्गत देय समस्त लाभ इकाईयों द्वारा किए गए स्थाई पूँजी निवेश की सीमा तक सीमित होंगे।

**23.** इस नीति के अंतर्गत पात्र निवेश की अवधि की गणना नीति के प्रख्यापन की तिथि के बाद से की जायेगी। नीति के अंतर्गत सूक्ष्म इकाईयों के पात्र निवेश की अवधि आवेदन करने के 02 वर्ष तक होगी। यह अवधि लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु क्रमशः 03 एवं 04 वर्ष होगी। पात्र निवेश की अवधि में ही इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। किसी नयी इकाई हेतु नीति के प्रख्यापन तिथि से पूर्व किसी भूमि में किया गया निवेश तथा आंशिक निर्माण की लागत को परियोजना हेतु "पात्र स्थायी पूँजी निवेश", में सम्मिलित नहीं माना जायेगा। नीति की प्रभावी अवधि में किये गए निवेश को ही "पात्र स्थायी पूँजी निवेश", के रूप में माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

24. यह नीति निम्नलिखित निवेश प्रस्तावों पर लागू नहीं होगी :-

24.1 तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, इत्यादि,

24.2 अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद आदि,

24.3 पटाखों का विनिर्माण,

24.4 प्लास्टिक कैरीबैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग,

24.5 समय-समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

25. नीति के बिंदु संख्या: 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9 एवं 5.1.10 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता

25.1 निजी एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट का अभिप्राय ऐसे औद्योगिक आस्थान/पार्क से है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में विकसित किये गये हों।

25.2 निजी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का अभिप्राय ऐसे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स से है जो न्यूनतम 4000 वर्ग मी0 अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित भवन उपनियम हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन हेतु विकसित किये गये हों।

25.3 निजी विकासकर्ता से अभिप्राय ऐसे औद्योगिक संगठन/उद्यम/निवेशक से है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था- एस.पी.वी.(स्पेशल पर्पज व्हीकल) (अथवा इसी प्रकार के समान/प्रतिस्थापन अधिनियम/विधि/कन्सॉर्टियम जो नीति की वैधता अवधि में समय-समय पर प्रचलित हों) के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु गठित किया गया हो। एकल निवेशक भी इस क्षेत्र में निवेश हेतु पात्र होगा, जिस हेतु निवेशक को अपनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नेटवर्थ/हैसियत प्रमाण-पत्र/आयकर रिटर्न, आदि प्रस्तुत किया जाना होगा, जिससे उसकी निवेश की क्षमता का आंकलन हो सके।

**25.4** प्रथम क्रेता का तात्पर्य ऐसी विशिष्ट पृथक इकाइयों से है जो एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में स्थित भूखण्ड/फ्लैट को प्रथम बार विकासकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से क्रय करती है।

**25.5** फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (एफ0एफ0सी0) से अभिप्राय बहुमंजिलीय औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोग हेतु इमारत से है।

**25.6** वित्तीय संस्था का तात्पर्य ऐसे वित्तीय संस्थानों से है जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, अथवा कोई अनुसूचित बैंक हो (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त)।

**26. लाभ प्राप्त करने हेतु शर्तें :**

**26.1** नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु परियोजना लागत में निम्नानुसार निवेश, पात्र निवेश माने जायेंगे।

**26.2** भूमि क्रय लागत की गणना, भूमि की प्रचलित सर्किल दर अथवा वास्तविक दर, जो भी न्यून हो, के आधार पर की जायेगी।

**26.3** नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु वह राशि अनुमन्य होगी, जो एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में स्थित इकाइयों को विशिष्ट अवस्थापना सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करने एवं नवीन भवनों के निर्माण पर व्यय की गई हो। इस प्रयोजन हेतु निर्माण में व्यय तथा भुगतान की गई वास्तविक राशि पर विचार किया जाएगा, जो एक वित्तीय संस्था/सिडबी द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट (एग्ज़ल रिपोर्ट) के अनुरूप सी0ए0 द्वारा प्रमाणित हो।

**26.4** औद्योगिक पार्क में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा, जिसमें हल्के एवं भारी वाहनों की पार्किंग, आन्तरिक मार्ग, हरित क्षेत्र/पार्क, आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपकेन्द्र, बाह्य विद्युत लाइन से कनेक्शन हेतु वांछित विद्युत लाइन व अन्य उपकरण, संचार सुविधाएं, जल आपूर्ति/संचयन/रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, सीवेज व जल निकासी व्यवस्था, उत्प्रवाही उपचार संयंत्र (सी0ई0टी0पी0), आदि सुविधाएं सम्मिलित होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**26.5** फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स भवन में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा, जिसमें वाहनों की पार्किंग, आन्तरिक मार्ग, विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण लाइनें, संचार सुविधाएं, जल आपूर्ति/संचयन/रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, सीवेज व जल निकासी व्यवस्था, उत्प्रवाही उपचार संयंत्र, आदि सुविधाएं सम्मिलित होंगी। उपरोक्त भवन के 80 प्रतिशत क्षेत्रफल औद्योगिक गतिविधियों (उत्पादन/सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित) हेतु तथा 20 प्रतिशत क्षेत्रफल वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु अनुमन्य होगा। कॉम्प्लेक्स के भवन को मिश्रित भू-उपयोग, भवन की श्रेणी में रखा जायेगा।

**26.6** विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा बड़े औद्योगिक भू-खण्डों की निष्प्रयोज्य भूमि को सब-डिवीजन कर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

**26.7** हॉस्टल/सहप्रांगण आवास शाला (डॉर्मिटरीज़) हॉस्टल/सहप्रांगण आवास शाला (डॉर्मिटरीज़) का तात्पर्य ऐसी आवास सुविधाओं एवं आम क्षेत्रों व सामुदायिक सुविधाओं से है, जो एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के भीतर विभिन्न गतिविधियों हेतु नियोजित कर्मियों/श्रमिकों के उपयोग हेतु निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित की गई हो व उसके स्वामित्व वाली हों।

**26.8** सद्भावना (गुडविल) शुल्क कमीशनिंग शुल्क, रॉयल्टी, प्रारम्भिक व कार्य-पूर्व व्यय, पूंजीकृत ब्याज़, परिवहन उपकरण/वाहन, कार्यशील पूंजी तथा अन्य व्यय जो इस योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से पात्र निवेश के रूप में परिभाषित नहीं हैं, किसी भी प्रकार की सहायता हेतु मान्य नहीं होंगे।

## **27. लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया:-**

**27.1** योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय नोडल संस्था के रूप में काम करेगा जिसके अधीन उ0प्र0 लघु उद्योग निगम (यू0पी0एस0आई0सी0) तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करेगी। इस प्रयोजनार्थ यू0पी0एस0आई0सी0 द्वारा एक पृथक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

**27.2** निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किये जाने वाले 10 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (फ्लैटेड फैक्ट्री हेतु भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 4000 वर्गमी0 होगी) स्थापित किये जायेंगे। निजी क्षेत्र द्वारा इस प्रकार विकसित एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में कम से कम 10 इकाइयों को भूखण्ड/फ्लैट दिया जायेगा। एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से आशय ऐसे औद्योगिक आस्थानों/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से है, जहाँ कम से कम 75 प्रतिशत बिक्री योग्य स्थान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एम0एस0एम0ई0 इकाईयों हेतु आरक्षित हो, की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे:-

**27.2.1** निजी विकासकर्ता को एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक आस्थान/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाने हेतु भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट स्टाम्प विभाग द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुरूप प्रदान की जायेगी।

**27.2.2** स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु निजी विकासकर्ता द्वारा अपनी प्रस्तावित परियोजना के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ परियोजना की डी0पी0आर0 संलग्न की जायेगी, जिसमें अन्य बिंदुओं के साथ-साथ चरणबद्ध रूप से परियोजना पूर्ण होने की टाइमलाइन भी उल्लिखित की जायेगी। आवेदन के साथ विकासकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक एग्रीमेन्ट भी प्रस्तुत किया जायेगा।

**27.2.3** विकासकर्ता का आवेदन प्राप्त होने पर उपायुक्त उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा परियोजना पर प्रदान किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी प्राप्त कर साक्षी के रूप में निबंधन विलेख पर उपायुक्त उद्योग द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिससे निवेशकर्ता को स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त हो सकेगी। आवेदन पत्र के परीक्षण में तकनीकी संस्था यू0पी0एस0आई0सी0 द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

**27.2.4** निवेशकर्ता द्वारा अपनी परियोजना में उल्लिखित टाइमलाइन में यदि परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है, तो नियमानुसार बैंक गारण्टी ज़ब्त कर ली जायेगी।

**27.3** स्वीकृत परियोजना लागत हेतु लिए गए ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत तक (अधिकतम रू 02 करोड़ प्रति वर्ष) प्रति एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत में भूमि क्रय लागत, अवस्थापना विकास लागत, श्रमिक आवास (हॉस्टल/डॉरमैट्री) निर्माण लागत आदि सम्मिलित की जा सकती है। निजी विकासकर्ता को निम्न प्रक्रिया के अनुसार सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी:-

**27.3.1** निजी विकासकर्ता द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार कर, ऑनलाइन जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत की जायेगी। इस डी0पी0आर0 के साथ प्रति पार्क/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स/औद्योगिक आस्थान में कम से कम 10 इकाईयों की स्थापना की सहमति पत्र व स्थापित होने वाली इकाईयों की भी परियोजना रिपोर्ट सम्मिलित की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन के प्राप्त होने के उपरांत, चार प्रतियों में हार्ड कॉपी में भी आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**27.3.2** उपायुक्त उद्योग के स्तर पर प्रस्तुत डी0पी0आर0 का परीक्षण इस हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा एवं 15 कार्यदिवसों में अपनी संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन संयुक्त आयुक्त उद्योग को प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा अपने परीक्षण में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायेगा:-

1. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सड़क की चौड़ाई में पेवमेन्ट एवं फुटपाथ शामिल होंगे।

2. यदि भूमि मुख्य मार्ग से दूर स्थित है तो मुख्य मार्ग से प्रस्तावित क्षेत्र तक कम से कम 12 मीटर चौड़ी अप्रोच रोड विकासकर्ता को निर्मित करनी होगी।

3. औद्योगिक पार्क के अन्दर यदि मार्ग की लम्बाई 200 मीटर तक है तो सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये। यदि मार्ग की लम्बाई 200 मीटर से अधिक है तो सड़क की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए।

4. औद्योगिक पार्क के अन्दर ऐसे मार्ग जो अंत में बंद हो रहे हों तथा उनकी चौड़ाई 12 मीटर है, वहाँ पर सड़क के अंत में 09 मीटर रेडियस की भूमि पर वाहनों के मोड़ने के लिये सड़क निर्माण करना होगा।

5. औद्योगिक पार्क में एक चैराहे/टी-जंक्शन से दूसरे के मध्य निम्नलिखित दूरी होना आवश्यक है :-

(क) 12 मीटर सड़क पर एक चैराहे/टी-जंक्शन से दूसरे चैराहे/टी-जंक्शन की दूरी कम से कम 50 मीटर होनी चाहिये।

(ख) 12 मीटर सड़क से 18 मीटर की सड़क पर दो चैराहों/टी-जंक्शन की दूरी कम से कम 80 मीटर होनी चाहिये।

6. सड़क के किनारे फुटपाथ एवं वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिये।

11. एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में न्यूनतम अवस्थापना सुविधाओं का होना आवश्यक होगा जिनके मुख्य घटक निम्नवत हैं :-

- ट्रक पार्किंग वे, आन्तरिक सड़कें-कंक्रीट रोड।
- जल प्रबन्धन तंत्र (संचयन, वितरण, जल निकासी प्रणाली, रेनवाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि)।
- अपशिष्ट प्रबन्धन तंत्र (सीवेज एकत्रीकरण एवं उपचार व्यवस्था (एस0टी0पी0), योजना की आवश्यकतानुसार प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0, ई0टी0पी0))।
- विद्युत वितरण तंत्र, मार्ग प्रकाश व्यवस्था।
- संचार सुविधाएं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- खुले व हरित क्षेत्र।
- बाउन्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार, सुरक्षा व्यवस्था।
- अग्नि शमन स्टेशन/ अग्नि शमन सुविधाएं व उपकरण।

**27.3.3** परियोजना का अप्रेज़ल वित्त पोषण करने वाली बैंक द्वारा किया जायेगा एवं समिति के समक्ष अप्रेज़ल रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अप्रेज़ल रिपोर्ट तैयार करते समय परियोजना स्थापना के विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर परियोजना के समस्त तकनीकी/आर्थिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसमें परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता सम्मिलित की जायेगी।

**27.3.4** संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा उपायुक्त उद्योग से ऑनलाइन प्राप्त संस्तुति का मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय समिति के माध्यम से परीक्षण कराते हुए अपनी संस्तुति 05 कार्यदिवसों में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को प्रेषित कर दी जायेगी। संयुक्त आयुक्त उद्योग स्तर पर परीक्षण में अप्रेज़लकर्ता संस्था, अधिशाषी अभियंता यू0पी0एस0आई0सी0 एवं उपायुक्त उद्योग द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

**27.3.5** आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा संयुक्त आयुक्त उद्योग से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए परियोजना पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं इस हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जाएगा। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 द्वारा यथा-आवश्यकता अन्य अधिकारियों को भी समिति में बुलाया जा सकेगा।

**27.3.6** योजना के अंतर्गत एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की परियोजना के अनुमोदन एवं प्रोत्साहन/सहायता की स्वीकृति इस हेतु गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा की जायेगी।

**27.3.7** नीति के अनुसार एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स प्रोत्साहन/सहायता के परिमाण का अनुमोदन राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा।

**27.3.8** राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति से स्वीकृति के उपरांत आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति पत्र 05 कार्य दिवसों में निर्गत कर दिया जायेगा एवं परियोजना की क्रमिक प्रगति होने पर उपायुक्त/संयुक्त आयुक्त उद्योग से प्राप्त माँग के आधार पर शासन से बजट प्राप्त कर सीधे निवेशकर्ता के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

**27.3.9** यदि इस योजना से सम्बन्धित किसी बिन्दु की व्याख्या के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा अंतर्विभागीय समन्वय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो योजना के उद्देश्यों के दृष्टिगत उस बिन्दु पर निर्णय हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति स्पष्टीकरण/निर्णय हेतु अधिकृत होगी, जो अंतिम तथा सम्बन्धित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**27.3.10** योजना के अंतर्गत देय ब्याज उपादान उपरोक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप गठित समितियों के माध्यम से प्रत्येक छः माह में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ब्याज प्रतिपूर्ति पर विचार किए जाने के पूर्व उपायुक्त उद्योग द्वारा परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा एवं क्रमिक प्रगति प्राप्त होने के उपरांत ही उपादान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस हेतु उपायुक्त उद्योग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

#### **27.4 आवेदन प्रक्रिया :-**

**27.4.1** योजना के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक आस्थान/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करने एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु निजी विकासकर्ता को समस्त आवश्यक प्रलेखों सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

**27.4.2** आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग द्वारा निर्धारित प्रारूप में जमा किये गये आवेदन की परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) के अनुसार जिला स्तरीय समिति के माध्यम से संस्तुति संयुक्त आयुक्त उद्योग को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी।

**27.4.3** नीति में उल्लिखित न्यूनतम क्षेत्रफल (10 एकड़) से बड़े पार्कों की परियोजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन के अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति अधिकृत होगी।

**27.4.4** विकासकर्ता के पक्ष में लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के उपरान्त विकासकर्ता विकसित की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक नहीं है तो भू-प्रयोग परिवर्तित करने हेतु व अन्य स्वीकृतियाँ/अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ उपायुक्त उद्योग को आवेदन प्रस्तुत करेगा जिस पर एम0एस0एम0ई0 अधिनियम-2020 के अंतर्गत लागू व्यवस्था के अधीन 72 घण्टे में अभिस्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार राजस्व विभाग से भू-प्रयोग को एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक आस्थान/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हेतु स्वीकृति जारी करायेगा।

**27.4.5** निवेशकर्ता को समस्त तकनीकी, पर्यावरणीय व अन्य स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में तकनीकी सहयोग यू0पी0एस0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

**27.4.6** फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हेतु विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक भू-खण्डों की निष्प्रयोज्य भूमि को सब-डिवीजन कर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**27.4.7** आवेदन प्राप्त होने पर 3 कार्य-दिवसों में उपायुक्त उद्योग द्वारा आवेदन में दी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लिया जायेगा। किसी प्रकार की अपूर्ण/अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होने पर आवेदक से आवेदन जमा होने की तिथि से 7 कार्य-दिवसों में अपूर्ण/ अतिरिक्त सूचना पत्र के माध्यम से मांग सकता है। यदि निर्धारित समय में पत्र प्रेषित नहीं किया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है।

## **27.5 सामान्य प्रक्रियाएँ, नियम व शर्तें :-**

**27.5.1** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 एकड़ अथवा उससे अधिक होना चाहिए तथा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होना चाहिए।

**27.5.2** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में न्यूनतम 10 इकाइयों को भूखण्ड/स्थान/फ्लैट दिया जायेगा।

**27.5.3** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में कम से कम 75 प्रतिशत बिक्री योग्य स्थान एम0एम0एम0ई0 इकाइयों के लिए आरक्षित किया जायेगा। उल्लिखित

**27.5.4** प्रदेश में विकसित किये जाने वाले 50 एकड़ अथवा उससे अधिक के नये एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट, एकीकृत औद्योगिक पार्क/स्टेट की तरह विकसित किये जायेंगे जहाँ विकसित औद्योगिक भूखण्डों/पूर्व निर्मित प्लग एण्ड प्ले फैसिलिटी के अतिरिक्त आवासीय, व्यवसायिक, सामाजिक एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध होंगी। पूर्व से स्थापित मानक के अनुसार एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट में कुल भू-क्षेत्रफल के न्यूनतम 30 प्रतिशत में खुला व हरित क्षेत्र तथा सुगम परिचालन, सार्वजनिक सुविधायें, अपशिष्ट प्रबंधन तथा योजना में उल्लिखित अन्य न्यूनतम अवस्थापना सुविधाओं का होना आवश्यक होगा। औद्योगिक क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में सड़को तथा पार्कों के क्षेत्रफल को घटाते हुये विकसित क्षेत्रफल में 75 प्रतिशत कोर एक्टिविटी(औद्योगिक), 12 प्रतिशत डॉरमेट्री/फील्ड हॉस्टल, 8 प्रतिशत व्यवसायिक तथा 05 प्रतिशत अन्य सुविधाओं के लिये भू-उपयोग अनुमन्य किया जायेगा।

**27.5.5** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट औद्योगिक भू-उपयोग के भू-खण्डों पर 1.5 समान रूप से तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) तथा 1.0 परचेज़ेबल (एफ0ए0आर0) कुल 2.5 (एफ0ए0आर0) अनुमन्य किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**27.5.6** फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के भू-खण्ड को मिश्रित उपयोग भू-खण्ड के रूप में माना जायेगा तथा तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ0ए0आर0) 1.5 सामान्य एफ0ए0आर0 तथा 1.0 परचेजेबल एफ0ए0आर0 कुल 2.5 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जायेगा

**27.5.7** यदि निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित किये जाने वाले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का भू-खण्ड किसी विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाले क्षेत्र में स्थित है, तो राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त निजी विकासकर्ता लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा। निजी विकासकर्ता के आवेदन पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए मानचित्र का अनुमोदन प्रदान करेंगे।

**27.5.8** यदि निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित किये जाने वाले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का भू-खण्ड किसी विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाले क्षेत्र में स्थित है, तो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवंटियों के पक्ष में लीज़ हस्तान्तरण विकासकर्ता के अनुरोध पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लीज़ हस्तान्तरण शुल्क जमा कराते हुए आवंटियों के पक्ष में लीज़ हस्तान्तरित की जायेगी। निजी विकासकर्ता निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर फ्लैट आवंटन हेतु इच्छुक आवेदनकर्ताओं से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर सकता है तथा उनको आवंटन पत्र भी जारी कर सकता है।

**27.5.9** प्रस्तावित योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है, अतः निजी विकासकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी परिक्षेत्र में एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का विकास किया जा सकेगा।

**27.5.10** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट में कुल भू-क्षेत्रफल के न्यूनतम 30 प्रतिशत में खुला व हरित क्षेत्र तथा सुगम परिचालन, सार्वजनिक सुविधाएं, अपशिष्ट प्रबन्धन तथा योजना में उल्लिखित अन्य न्यूनतम अवस्थापना सुविधाओं का होना आवश्यक होगा। औद्योगिक क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में सड़कों तथा पार्कों के क्षेत्रफल को घटाते हुये विकसित क्षेत्रफल में 75 प्रतिशत कोर एक्टिविटी (औद्योगिक), 12 प्रतिशत डॉमेट्री/फील्ड हॉस्टल, 8 प्रतिशत व्यवसायिक तथा 05 प्रतिशत अन्य सुविधाओं के लिये भू-उपयोग अनुमन्य किया जायेगा।

**27.5.11** विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर स्थित एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का अभिन्यास नियोजन (Layout plan) एवं पार्क में स्थित एकल इकाइयों का बिल्डिंग प्लान आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। इस सम्बन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा इस योजना के प्राविधानों के अनुरूप प्रचलित भवन उपविधि (Building Byelaws) के अनुसार अनुमोदित किया जायेगा।

**27.5.12** परियोजना की निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में समय-सीमा का विस्तारण विस्तृत परियोजना आख्या में निर्दिष्ट समय/निर्धारित पूर्णता तिथि से अधिकतम 4 वर्षों की अवधि हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जायेगा।

## **27.6 निजी विकासकर्ता - योग्यता एवं उत्तरदायित्व:-**

**27.6.1** निजी एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास हेतु निजी विकासकर्ता कॉन्सोर्टियम का गठन कर सकते हैं, जिसके सदस्यों (कृषकों सहित) की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी तथा ए0पी0वी0 का गठन कर सकते हैं। कॉन्सोर्टियम के लीड सदस्य का न्यूनतम इक्विटी शेयर 26 प्रतिशत होगा।

**27.6.2** एक कम्पनी एक से अधिक कॉन्सोर्टियम की सदस्य बन सकती है, बशर्ते उसकी वित्तीय क्षमता (Financial Capability) का आकलन कम्पनी के कुल कारोबार/नेटवर्थ के सापेक्ष कम्पनी के एक विशिष्ट कॉन्सोर्टियम में कम्पनी के इक्विटी शेयर के अनुपात से किया जाएगा।

**27.6.3** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना पूर्ण होने के पश्चात न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पार्क की सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के स्तर का निर्धारण, पार्क के भीतर विकसित की गयी सुविधाओं का प्रबन्धन, अनुरक्षण तथा संचालन निजी विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा इस अवधि में एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के भीतर अवस्थापना एवं सेवाओं के नियमित अनुरक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी। इस हेतु आवंटियों से नियमानुसार शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा।

**27.6.4** उपायुक्त उद्योग द्वारा तकनीकी संस्था यू0पी0एस0आई0सी0 के सहयोग से एम0एस0एम0ई0 पार्क/ औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हेतु निर्धारित मानकों व मानदण्डों के अनुसार निजी विकासकर्ता द्वारा पार्क के अभिन्यास नियोजन (Layout Plan) का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराई जानी होंगी।

**27.6.5** विकासकर्ता यदि इस योजनान्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हैं तो वे राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अधीन एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हेतु सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो। यद्यपि पात्रता होने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकासकर्ता द्वारा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत सुविधाओं का लाभ लिया जा सकेगा। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये लाभ के समकक्ष भारत सरकार की योजनाओं पर भी लाभ उपलब्ध होने की दशा में प्रस्तावित राज्य योजना में लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्पष्ट संस्तुति के आधार पर ही प्रस्ताव प्राधिकृत समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

**27.6.6** विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सम्बन्धित वित्तीय संस्थान को मूलधन एवं ब्याज की किस्तों का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश निजी विकासकर्ता निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करने में असफल रहता है तो उस किस्त के साथ जमा किए गये ब्याज पर किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी, किन्तु डिफॉल्ट की यह समयावधि पात्रता अवधि में ही मानी जायेगी।

## **27.7 परियोजना की पूर्णता :-**

**27.7.1** एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट (आस्थान) की स्थापना को तब पूर्ण माना जायेगा, जब अनुमोदन तिथि से 05 वर्षों के भीतर नियमों का अनुपालन करते हुए न्यूनतम 10 इकाइयों द्वारा भूमि का निबन्धन एवं कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो तथा अपना निर्माण प्रारंभ कर दिया गया हो।

**27.7.2** विकसित एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में इकाई की स्थापना हेतु नए निवेशकों को एम0एस0एम0ई0 नीति के अंतर्गत पूँजी उपादान सहित अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

**27.7.3** यदि विकासकर्ता इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के उपरान्त निर्दिष्ट समयावधि में औद्योगिक पार्क के विकास को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो निजी विकासकर्ता समयावधि बढ़ाने का निवेदन कर सकता है, जिस पर निर्णय राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा लिया जायेगा।

**27.7.4** यदि निजी विकासकर्ता बिन्दु संख्या 27.7.3 के अनुसार अधिकतम समय सीमा (समयावधि बढ़ाने के उपरान्त) एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट (आस्थान) की स्थापना को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो विकासकर्ता द्वारा प्राप्त किए प्रोत्साहन/सहायता, बैंक गारंटी की वसूली औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। उक्त कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का होगा।

**22.7.5** बैंक गारण्टी के नकदीकरण अथवा ब्याज उपादान की वसूली से पूर्व पूर्ण प्रकरण राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का निर्णय अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

## 27.8 निजी विकासकर्ता द्वारा जानकारी/सूचना उपलब्ध कराना:-

**27.8.1** इस योजना की अवधि में निजी विकासकर्ता को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। पात्र निजी विकासकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से लेखा परीक्षा वार्षिक खाता/बैलेन्सशीट, आदि को उपायुक्त उद्योग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्रोत्साहन प्राप्त होने की तिथि से 03 वर्ष तक निरन्तर प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त उद्योग अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी एम0एस0एम0ई0 पार्क/ औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का आवश्यकतानुसार निरीक्षण कर सकेगा।

**27.8.2** इस योजना की अवधि में निजी विकासकर्ता को कार्य की प्रगति उपायुक्त उद्योग को प्रति माह प्रेषित करनी होगी।

**27.8.3** इस योजना की अवधि में निजी विकासकर्ता के द्वारा किये जाने वाले व्यय का लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार योजना के अन्तिम चरण तक प्रेषित करना होगा।

**27.8.4** योजनान्तर्गत समस्त व्यय, यथा-सहमति पत्र का निष्पादन तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का वहन निजी विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा।

## 27.9 प्रलेखों का रख-रखाव :-

उपायुक्त उद्योग द्वारा जनपदवार वितरित किए गए प्रोत्साहनों/सहायता की धनराशि का लेखा विवरण एवं समस्त अन्य प्रलेखों के सम्पूर्ण विवरण का रख-रखाव किया जाएगा एवं उन्हें संयुक्त आयुक्त उद्योग व उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा।

## 27.10 विविध :-

**27.10.1** उपायुक्त उद्योग द्वारा भावी विकासकर्ताओं को एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित करने में सहायता प्रदान की जायेगी।

**27.10.2** यदि एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को आयताकार अथवा वर्गाकार बनाये जाने हेतु ग्राम सभा/शासकीय भूमि की आवश्यकता पड़ती है अथवा यह भूमि एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हेतु आवश्यक निजी भूमि की परिधि में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आती है, तो राजस्व विभाग द्वारा जारी नीति/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उपायुक्त उद्योग द्वारा वांछित कार्यवाही करायी जायेगी।

**27.10.3** राज्य सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को विभिन्न परिधीय वाह्य सम्पर्क अवस्थापना सुविधाओं, यथा सड़क, जल व विद्युत आपूर्ति, उपकेन्द्र, गैस तथा अपशिष्ट निष्कासन आदि, को प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जायेगी। इस हेतु संबंधित विभागों से समन्वय कराया जाएगा।

**27.10.4** निजी विकासकर्ताओं द्वारा एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के भौगोलिक क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युत वितरण लाइसेन्स के लिए आवेदन किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार तथा उसकी एजेन्सियों द्वारा प्राशासकीय सहायता दी जायेगी।

**27.10.5** यदि निजी विकासकर्ताओं द्वारा एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में विद्युत वितरण लाइसेन्स न लिये जाने का विकल्प चुना जाता है तो निजी विकासकर्ताओं द्वारा एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में स्थापित इकाईयों को विद्युत अधिनियम-2003 के प्राविधानों के अनुसार ओपेन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय किये जाने में राज्य सरकार तथा उसकी एजेन्सियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

**27.10.6** योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद अथवा स्पष्टीकरण के प्रकरणों को उद्योग निदेशालय को सन्दर्भित किया जायेगा।

**27.10.7** विवाद का समाधान नहीं होने की दशा में, प्रकरण को राज्य समिति के माध्यम से उच्चाधिकार प्राप्त समिति को सन्दर्भित किया जायेगा।

**27.10.8** योजनान्तर्गत किसी भी विषय को स्पष्ट करने, योजना में संशोधन करने अथवा इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिए जाने के पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

**27.10.9** शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तें व नियम एम0एस0एम0ई0 पार्क/औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स स्थापित करने वाले निजी विकासकर्ता पर लागू होंगी।

**27.10.10** ऐसे कोई भी अन्य मानदण्ड लागू होंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तथा/अथवा अधिसूचित किए जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**27.10.11** इस शासनादेश के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या एवं अनुपालन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम होगी।

**28. नीति के बिंदु संख्या 5.1.12, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5, 5.9.6, 5.9.7 एवं 5.9.8 के क्रम में पर्यावरणीय आधारभूत संरचना और पहल के लिए प्रोत्साहन:-**

**28.1** सामूहिक पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधाएँ जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मौजूदा सी0ई0टी0पी0 का संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन, कॉमन मल्टीपल इफेक्ट इवैपोरेटर, कॉमन स्प्रे ड्रायर, बायो-डिग्रेडेब्लस इत्यादि पर परियोजना व्यय के 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि इस हेतु भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी कुल सहायता निर्धारित पूँजी निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह सुविधाएँ सामान्य सुविधा केंद्र की तर्ज पर विकसित की जायेंगी।

**28.1.1** ऐसे औद्योगिक क्लस्टरों जहाँ सी0ई0टी0पी0 की स्थापना न होने अथवा सी0ई0टी0पी0 का पूरी क्षमता से संचालन न हो सकने के कारण उद्योगों की नियमित अंतराल में बंदी होती है, ऐसे क्लस्टरों में निजी क्षेत्र के निवेशक अथवा उस क्लस्टर की इकाईयों की गठित एस0पी0वी0 के माध्यम से नए सी0ई0टी0पी0 की स्थापना अथवा पुराने सी0ई0टी0पी0 का संवर्धन, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉमन मल्टीपल इफेक्ट इवैपोरेटर, कॉमन स्प्रे ड्रायर, बायो-डिग्रेडेब्लस इत्यादि की स्थापना करायी जाएगी। आवश्यकतानुसार औद्योगिक आस्थानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी ई0टी0पी0, सी0ई0टी0पी0 तथा सी0एफ0सी0 लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित शून्य तरल निर्वहन के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत अपशिष्ट वसूली करने वाले उद्योगों को प्रासंगिक उपकरणों की लागत पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

**28.1.2** इन लाभों को प्राप्त करने हेतु निवेशक/एस0पी0वी0 द्वारा सी0ई0टी0पी0 स्थापना/उन्नयन, अन्य पर्यावरणीय आधारभूत संरचना की स्थापना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) संबंधित उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी।

**28.1.3** इस डी0पी0आर0 का तकनीकी परीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सी0एस0आई0आर0 अथवा इसकी अधिकृत संस्था अथवा अन्य सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से कराया जाएगा। इस तकनीकी पैनल का गठन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 के स्तर पर किया जाएगा एवं यह पैनल जिन जिलों में सी0ई0टी0पी0 की स्थापना होनी है, उनके उपायुक्त उद्योग से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**28.1.4** डी0पी0आर0 का फाइनेन्शियल अप्रेज़ल वित्त पोषण करने वाली संस्था/सिडबी द्वारा किया जायेगा।

**28.1.5** तकनीकी एवं वित्तीय अप्रेज़ल के उपरांत अप्रेज़ल नोट के साथ जिला स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति सहित पत्रावली अग्रसारित की जायेगी। मंडल स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत राज्य स्तरीय समिति द्वारा परियोजना पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

**28.1.6** परियोजना स्वीकृति के उपरांत अनुमन्य वित्तीय सहायता दो किशतों में उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किशत के रूप में 50 प्रतिशत सहायता परियोजना की स्थापना में 50 प्रतिशत प्रगति हो जाने के उपरांत सक्षम तकनीकी निरीक्षण के बाद की जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत सहायता परियोजना के पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन एवं संचालन के उपरांत प्रदान की जायेगी।

**28.2** सामूहिक बाँयलर परियोजना जो न्यूनतम 10 इकाईयों द्वारा गठित की जायेगी की स्थापना हेतु एस0पी0वी0 को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह सहायता ठोस ईंधन के मामले में 35 प्रतिशत और स्वच्छ ईंधन के मामले में 50 प्रतिशत होगी। इस सहायता का क्रियान्वयन उपरोक्त बिंदु संख्या 28.1.2 से 28.1.6 के अनुसार किया जायेगा।

**28.3** क्लीन उत्पादन तकनीक जैसे कच्चे माल का प्रतिस्थापन और अनुकूलन, पानी की खपत में कमी, ऊर्जा की खपत में कमी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण आदि को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्लान्ट एवं मशीनरी पर किए गये व्यय की 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 20 लाख तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस सहायता का क्रियान्वयन उपरोक्त बिंदु संख्या 28.1.2 से 28.1.6 के अनुसार किया जायेगा।

**28.4** प्रदेश में पूर्व से स्थापित एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को “ग्रीन प्रैक्टिसेस एण्ड एन्वायरमेंटल ऑडिट टू एम0एस0एम0ई0”, यथा ऊर्जा एवं जल संरक्षण इत्यादि से संबंधित ऑडिट को प्रोत्साहित करने के लिए ऑडिट सेवाओं की फीस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 50 हजार तक की प्रतिपूर्ति तथा ऑडिटर द्वारा अनुशंसित संबंधित उपकरण खरीदने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 20 लाख तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त करने के लिए परामर्श शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.50 लाख तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। पूर्व से स्थापित इकाईयों को पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला/ पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 10 लाख तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**28.4.1** उपरोक्तानुसार लाभों को प्राप्त करने हेतु इकाई द्वारा नामित अधिकृत सक्षम संस्थाओं के माध्यम से कार्यों को कराया जायेगा।

**28.4.2** प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सक्षम संस्थाओं का प्रमाण-पत्र, किए गये कार्यों का बिल/ वाउचर, अपने आवेदन के साथ इकाई द्वारा संलग्न किया जाएगा।

**28.4.2** जिला स्तरीय समिति की संस्तुति के उपरांत सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद देय लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से इकाई के खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।

**29.** एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 के अंतर्गत जारी किये जा रहे इन सामान्य निर्देशों में किसी प्रकार का संशोधन/परिमार्जन, मा0 मंत्री जी के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

-----X-----

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

एम0एस0एम0ई0 नीति-2022 के अंतर्गत वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(क) कॉमन आवेदन पत्र

1.	इकाई का नाम	--	
2.	इकाई की श्रेणी -		
	सूक्ष्म	--	
	लघु	--	
	मध्यम	--	
3.	इकाई का प्रकार -		
	उद्योग	--	
	सेवा	--	
4.	इकाई की स्थिति		
	नयी इकाई	--	
	पूर्व स्थापित इकाई	--	
5.	इकाई की संरचना -		
	प्रोपराइटरशिप	--	
	पार्टनरशिप	--	
	कम्पनी	--	
	सोसाइटी	--	
	अन्य	--	
6.	फैक्ट्री का पूर्ण पता (पिनकोड सहित)	--	
	दूरभाष	--	
	मोबाइल	--	
	ई-मेल	--	
7.	कार्यालय का पूर्ण पता (पिनकोड सहित)	--	
	दूरभाष	--	
	मोबाइल	--	
	ई-मेल	--	
8.	इकाई स्वामी/प्रवर्तक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण -		
	नाम	--	
	श्रेणी (Gen/SC/ST/OBC)	--	
	पूर्ण पता (पिनकोड सहित)	--	
	दूरभाष	--	
	मोबाइल	--	
ई-मेल	--		
9.	इकाई का उद्योग आधार/ उद्यम पंजीयन प्रमाण-पत्र	--	
10.	इकाई का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या	--	
11.	इकाई का पैन नम्बर (प्रो0 इकाई की दशा में उद्यमी का पैन अन्यथा इकाई का पैन)	--	
12.	इकाई में निवेश प्रारंभ करने की तिथि (समस्त निवेश दिनांक 28.09.2022 के पश्चात् के मान्य होंगे)	--	
13.	इकाई में उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि/उत्पाद प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि	--	

*Sen*

14	नई इकाई द्वारा किए गए निवेश का विवरण (घनराशि रू0 लाख में, समस्त निवेश सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होंगे) -	
	भवन	-
	प्लान्ट एवं मशीनरी	-
	उपकरण	-
	यूटिलिटीस/अन्य	-
	प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मशीनरी एवं उपकरण में निवेश	-
15	नई इकाई के उत्पादों का विवरण -	
	उत्पाद का नाम	-
	प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	-
16	पूर्व से स्थापित इकाई के विस्तारीकरण/विविधीकरण से पूर्व का विवरण (घनराशि रू0 लाख में, समस्त निवेश सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होंगे)-	
	भवन	-
	प्लान्ट एवं मशीनरी	-
	उपकरण	-
	यूटिलिटीस/अन्य	-
	वर्तमान उत्पाद का नाम	-
	कुल ग्रॉस ब्लॉक	-
17	पूर्व से स्थापित इकाई के विस्तारीकरण/विविधीकरण के पश्चात् इकाई का विवरण (घनराशि रू0 लाख में, समस्त निवेश सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होंगे)-	
	संशोधित ग्रॉस ब्लॉक	-
	किए गये विस्तारीकरण/विविधीकरण का विवरण एवं किया गया निवेश	-
	विविधीकरण के पश्चात् निर्मित उत्पाद का नाम	-
18	इकाई के बैंक का विवरण -	
	बैंक का नाम	-
	खाता संख्या	-
	आई0एफ0एस0सी0 कोड	-
	शाखा कोड	-
19	इकाई द्वारा दिए जाने वाले रोजगार का विवरण -	
	पुरुष	-
	महिला	-
	अन्य	-
	कुल	-
20	अन्य विवरण	

*Sm*

## (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला इकाई हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	इकाई की श्रेणी -		
	अनुसूचित जाति	-	
	अनुसूचित जनजाति	-	
	महिला	-	
3.	इकाई का प्रकार -		
	प्रोपराइटरशिप (एस0सी0/ एस0टी0 का प्रोपराइटर होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए)	-	
	कम्पनी/साझेदारी/पार्टनरशिप, आदि होने की दशा में एस0सी0/एस0टी0/महिला की 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी का सी0ए0 प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए)	-	

## (ग) पूँजी उपादान हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	इकाई द्वारा प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरण तथा भवन में किया गया निवेश (रु0 लाख में) (भवन में किये गये कुल निवेश का 10 प्रतिशत निवेश जोड़ा जायेगा)	-	
3.	वित्त पोषण करने वाले बैंक का विवरण -		
4.	इकाई की श्रेणी एवं क्षेत्र के अनुरूप अनुमन्य पूँजी उपादान की धनराशि (रु0 लाख में)	-	
5.	जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत पूँजी उपादान की धनराशि (रु0 लाख में)	-	

## (घ) ब्याज उपादान हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	वित्त पोषण करने वाले बैंक का विवरण -		
3.	प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरण हेतु लिया गया ऋण (धनराशि रु0 लाख में)	-	
4.	बैंक का ऋण स्वीकृति/ वितरण पत्र	-	
5.	बैंक के लेटर हेड पर इकाई द्वारा भुगतान किए गये ब्याज का प्रमाण-पत्र	-	
6.	ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि	-	

Scw.

(ड) सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवरेज हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	वित्त पोषण करने वाले बैंक का विवरण -		
3.	प्लान्ट, मशीनरी एवं उपकरण हेतु लिया गया ऋण (धनराशि रू0 लाख में)	-	
4.	बैंक का ऋण स्वीकृति/ वितरण पत्र	-	
5.	बैंक के लेटर हेड पर इकाई द्वारा भुगतान किए गये वन टाइम गारण्टी फीस का प्रमाण-पत्र एवं निहित धनराशि (रू0 लाख में)	-	
6.	कुल देय गारण्टी फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि (रू0 लाख में)	-	

(च) स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पूँजी एकत्रित करने हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का दिनांक (NSE/BSE)	-	
3.	इकाई के रजिस्ट्रार का नाम एवं पूर्ण पता जिसके माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज से पूँजी जुटाई गयी	-	
4.	स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पूँजी उपलब्ध होने की तिथि	-	
5.	फैसिलिटेशन एजेंसी को भुगतान की गयी कुल धनराशि (रू0 लाख में)	-	
6.	इकाई के बैंक का विवरण जिसमें स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से एकत्रित पूँजी जमा करायी गयी -		
	बैंक का नाम	-	
	खाता संख्या	-	
	आई0एफ0एस0सी0 कोड	-	
	शाखा कोड	-	
7.	जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)	-	
8.	प्रतिपूर्ति हेतु कुल देय धनराशि (रू0 लाख में)	-	

(च) ई0आर0पी0/आई0सी0टी0 व अन्य आई0टी0 उपकरणों की स्थापना हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	ई0आर0पी0/आई0सी0टी0 उपकरणों के सप्लायर का नाम एवं पूर्ण पता	-	
3.	इकाई द्वारा स्थापित ई0आर0पी0/आई0सी0टी0 उपकरणों का विवरण	-	
4.	इकाई द्वारा ई0आर0पी0/आई0सी0टी0 उपकरणों की स्थापना पर हुया कुल व्यय (रू0 लाख में)	-	
5.	इकाई के बैंक का विवरण -		
6.	जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)	-	
7.	प्रतिपूर्ति हेतु कुल देय धनराशि (रू0 लाख में)	-	

*Signature*

(छ) क्लीन उत्पादन तकनीकी, प्रदूषण नियंत्रण आदि हेतु उपकरणों की स्थापना हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	इकाई में क्लीन उत्पाद तकनीकी की स्थापना हेतु कराये गये थर्ड पार्टी आडिट का विवरण -		
3.	ऑडिट करने वाली संस्था/ऑडिटर/कंसलटेंट का नाम एवं पूर्ण पता	-	
4.	क्लीन उत्पादन तकनीकी हेतु स्थापित किए जाने वाले वांछित प्लांट, मशीनरी एवं उपकरणों का विवरण	-	
5.	ऑडिटर का भुगतान की गयी फीस (धनराशि रु० लाख में)	-	
6.	क्लीन उत्पादन तकनीकी हेतु ऑडिटर द्वारा अनुसंधित उपकरणों पर होने वाले व्यय का विवरण (धनराशि रु० लाख में)	-	
7.	इकाई के बैंक का विवरण -		
8.	जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि (रु० लाख में)	-	
9.	प्रतिपूर्ति हेतु कुल देय धनराशि (रु० लाख में)	-	

(ज) नियोक्त के ई०पी०एफ० अंशदान की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	इकाई में ई०पी०एफ० योजनान्तर्गत आच्छादित कुल कर्मचारियों की संख्या	-	
3.	इकाई द्वारा कुल ई०पी०एफ० हेतु नियोक्त अंशदान के रूप में भुगतान की गयी धनराशि (रु० लाख में)	-	
4.	इकाई के बैंक का विवरण -		
5.	जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि (रु० लाख में)	-	
6.	प्रतिपूर्ति हेतु कुल देय ई०पी०एफ० अंशदान की धनराशि (रु० लाख में)	-	

(झ) गुणवत्ता मानक (ZED, WHO, GMP, BIS, etc.) प्राप्त करने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	-	
2.	उत्पाद का नाम जिस हेतु गुणवत्ता प्रमाणीकरण पंजीयन किया गया है	-	
3.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण पंजीयन का दिनांक एवं क्रमांक	-	
4.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर आने वाला कुल व्यय (धनराशि रु० लाख में)	-	
5.	इकाई के बैंक का विवरण -		
6.	इकाई के स्वरूप के अनुसार अनुग्न्य वित्तीय सहायता की धनराशि (रु० लाख में)	-	

*San*

(झ) पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, आदि प्राप्त करने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वांछित अतिरिक्त विवरण

1.	इकाई का नाम	--	
2.	उत्पाद का नाम जिस हेतु पेटेंट/जीआई0 पंजीयन दाखिल किया गया है	--	
3.	क्या पेटेंट अथवा भौगोलिक संकेतक राष्ट्रीय है अथवा अंतर्राष्ट्रीय ?	--	
4.	पेटेंट अथवा भौगोलिक संकेतक दाखिल करने पर आने वाला कुल व्यय का विवरण (घनराशि रू0 लाख में)	--	
5.	पेटेंट अथवा भौगोलिक संकेतक दाखिल करने पर आने वाला अटॉर्नी शुल्क का विवरण (घनराशि रू0 लाख में)	--	
6.	क्या इकाई को पेटेंट अथवा जीआई0 प्रमाण-पत्र निर्गत हो चुका है। यदि हाँ तो प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं दिनांक अंकित किया जाए	--	
7.	इकाई के बैंक का विवरण --		
8.	प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य वित्तीय सहायता की घनराशि (रू0 लाख में)	--	

*Scanned*

एम० एस० एम० ई० पार्क / फ्लैटेड फैक्ट्री / औद्योगिक आस्थान / फ्लैटेड फैक्ट्री / हेतु प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र

जिले का नाम : \_\_\_\_\_ वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_ परियोजना की लागत (रु० लाख) \_\_\_\_\_

क्र० सं०	निवेशक / परियोजना का विवरण
क	कंपनी / साझेदारी / एस० पी० वी० / निवेशक का विवरण
1	कंपनी / साझेदारी / एस पी वी / निवेशक का नाम
2	कंपनी / साझेदारी / एस पी वी / निवेशक का पता
3	कंपनी / साझेदारी / एस पी वी / निवेशक का दूरभाष / ईमेल
4	कंपनी निदेशक / निवेशक का नाम एवं पता
5	कंपनी निदेशक / निवेशक का मोबाइल / दूरभाष / ईमेल
6	कंपनी निदेशक / निवेशक की नेट वर्थ
7	कार्य का अनुभव
8	उद्योग आधार नंबर (यदि हो तो)
9	जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन नंबर
12	क्या आवेदक का इच्छुक एम० एस० एम० ई० पार्क / फ्लैटेड फैक्ट्री / औद्योगिक आस्थान / फ्लैटेड फैक्ट्री के अलावा किसी और स्थान पर सम्बंधित उद्योग है (हां / नहीं) अगर हां तो विवरण प्रदान करें
13	अन्य

व	परियोजना का विवरण
1	परियोजना का नाम
2	परियोजना स्थल का पूर्ण पता
3	कुल परियोजना लागत (सी० ए० द्वारा प्रमाणित)
4	लागत का मदवार विवरण
4.1	बाउंड्री वाल आदि का निर्माण
4.2	भूखंड का निर्माण
4.3	रोड / नाली का निर्माण
4.4	पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन)
4.5	विद्युत् व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सब स्टेशन)

Signature

4.6	हॉस्टल / डॉमेंटी निर्माण	
4.7	ई0 टी0 पी0 / सी0 ई0 टी0 पी0	
4.8	जल व्यवस्था / जल निकासी	
4.9	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	
4.10	आबंटी इकाइयों दवारा प्रारंभ किया गया	
4.11	भूमि विकास	
4.12	भवन निर्माण	
4.13	विद्युत् संयोजन	
4.14	हरित पट्टिका / पार्क	
4.15	संचार व्यवस्था	
4.16	अन्य	

संलग्नक: 1) परियोजना की डी0 पी0 आर0  
2) एग्रीमेंट

*Am*

Signature of Applicant

(आवेदक के हस्ताक्षर)

एम्0 एस0 एम्0 ई0 पार्क / प्लैटेड फैक्ट्री / औद्योगिक आस्थान / प्लैटेड फैक्ट्री / हेतु व्याज उपादान प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

जिले का नाम : \_\_\_\_\_

वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_

परियोजना की लागत (रु0 लाख) \_\_\_\_\_

क्र0 सं0	परियोजना के घटक	आख्या																																																									
1	परियोजना का नाम (एम् एस एम् ई पार्क/ प्लैटेड फैक्ट्री/ औ० आ०)																																																										
2	परियोजना स्थल का पूर्ण पता																																																										
3	कंपनी / साझेदार / निवेशक का नाम व पता, दूरभाष/ मेल																																																										
4	निरीक्षण की तिथि को परियोजना की भौतिक स्थिति	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अ</th> <th colspan="2">एम्0 एस0 एम्0 ई0 पार्क / औद्योगिक अस्थान</th> </tr> <tr> <th>क्र0 सं0</th> <th>भूमि विकास</th> <th>पूर्णता / प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>बातंडी वाल आदि का निर्माण -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>भूखंड का निर्माण -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>रोड / नाली का निर्माण -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन) -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>विद्युत् व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सब स्टेशन) -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>हॉस्टल / डोर्मिट्री निर्माण -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>सी0 ई0 टी0 पी0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>जल व्यवस्था / जल निकासी व्यवस्था -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>रेन वाटर हार्वेस्टिंग -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>हरित पट्टिका / पार्क -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>आबंटी इकाइयों दवारा प्रारंभ किया गया निवेश -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.1</td> <td>भूमि विकास -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.2</td> <td>भवन निर्माण -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.3</td> <td>विद्युत् संयोजन -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.4</td> <td>संचार व्यवस्था -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.5</td> <td>अन्य -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>अन्य निर्माण -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	अ	एम्0 एस0 एम्0 ई0 पार्क / औद्योगिक अस्थान		क्र0 सं0	भूमि विकास	पूर्णता / प्रतिशत	1.	बातंडी वाल आदि का निर्माण -		2.	भूखंड का निर्माण -		3.	रोड / नाली का निर्माण -		4.	पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन) -		5.	विद्युत् व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सब स्टेशन) -		6.	हॉस्टल / डोर्मिट्री निर्माण -		7.	सी0 ई0 टी0 पी0 -		8.	जल व्यवस्था / जल निकासी व्यवस्था -		9.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग -		10.	हरित पट्टिका / पार्क -		11.	आबंटी इकाइयों दवारा प्रारंभ किया गया निवेश -		11.1	भूमि विकास -		11.2	भवन निर्माण -		11.3	विद्युत् संयोजन -		11.4	संचार व्यवस्था -		11.5	अन्य -		12.	अन्य निर्माण -	
अ	एम्0 एस0 एम्0 ई0 पार्क / औद्योगिक अस्थान																																																										
क्र0 सं0	भूमि विकास	पूर्णता / प्रतिशत																																																									
1.	बातंडी वाल आदि का निर्माण -																																																										
2.	भूखंड का निर्माण -																																																										
3.	रोड / नाली का निर्माण -																																																										
4.	पार्किंग (भारी वाहन / हल्के वाहन) -																																																										
5.	विद्युत् व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सब स्टेशन) -																																																										
6.	हॉस्टल / डोर्मिट्री निर्माण -																																																										
7.	सी0 ई0 टी0 पी0 -																																																										
8.	जल व्यवस्था / जल निकासी व्यवस्था -																																																										
9.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग -																																																										
10.	हरित पट्टिका / पार्क -																																																										
11.	आबंटी इकाइयों दवारा प्रारंभ किया गया निवेश -																																																										
11.1	भूमि विकास -																																																										
11.2	भवन निर्माण -																																																										
11.3	विद्युत् संयोजन -																																																										
11.4	संचार व्यवस्था -																																																										
11.5	अन्य -																																																										
12.	अन्य निर्माण -																																																										

रिपोर्ट

क्र० सं०	परियोजना के घटक	आख्या																														
5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ब</th> <th>फ्लैटेड फैक्ट्री</th> <th>प्रतिष्ठित पूर्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>भूमि विकास / बाउंड्री वाल</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>निर्माण कार्य की प्रगति ( बेसमेंट / पार्किंग / प्रथम तल / द्वितीय तल आदि )</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>हरित पौष्टिक / पार्क</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>रेन वाटर हार्वैस्टिंग</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>विद्युत् कनेक्शन</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>पार्किंग ( भारी ) / हल्के वाहनों के हेतु</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>लिफ्ट व अन्य अवस्थापन सुविधाएं</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>अन्य</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>आवटन की स्थिति</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ब	फ्लैटेड फैक्ट्री	प्रतिष्ठित पूर्ति	1	भूमि विकास / बाउंड्री वाल		2	निर्माण कार्य की प्रगति ( बेसमेंट / पार्किंग / प्रथम तल / द्वितीय तल आदि )		3	हरित पौष्टिक / पार्क		4	रेन वाटर हार्वैस्टिंग		5	विद्युत् कनेक्शन		6	पार्किंग ( भारी ) / हल्के वाहनों के हेतु		7	लिफ्ट व अन्य अवस्थापन सुविधाएं		8	अन्य		9	आवटन की स्थिति	
		ब	फ्लैटेड फैक्ट्री	प्रतिष्ठित पूर्ति																												
		1	भूमि विकास / बाउंड्री वाल																													
		2	निर्माण कार्य की प्रगति ( बेसमेंट / पार्किंग / प्रथम तल / द्वितीय तल आदि )																													
		3	हरित पौष्टिक / पार्क																													
		4	रेन वाटर हार्वैस्टिंग																													
		5	विद्युत् कनेक्शन																													
		6	पार्किंग ( भारी ) / हल्के वाहनों के हेतु																													
		7	लिफ्ट व अन्य अवस्थापन सुविधाएं																													
		8	अन्य																													
9	आवटन की स्थिति																															
6	विगत निरीक्षण एवं आज के निरीक्षण में हुयी क्रमिक प्रगति	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अ</th> <th>औद्योगिक पार्क / औद्योगिक आस्थान</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>ब</th> <th>फ्लैटेड फैक्ट्री</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	अ	औद्योगिक पार्क / औद्योगिक आस्थान											ब	फ्लैटेड फैक्ट्री																
		अ	औद्योगिक पार्क / औद्योगिक आस्थान																													
		ब	फ्लैटेड फैक्ट्री																													
7	ब्याज उपादान हेतु संस्तुति																															
8	अभ्युक्ति (क्रमिक प्रगति का आकलन तकनीकी संस्था / चार्टर्ड इंजीनियर के माध्यम से कराया जाएगा)																															

नाम एवं हस्ताक्षर  
अधिशासी अभियंता  
(उ प्र लघु उद्योग निगम लिमिटेड)

नाम एवं हस्ताक्षर  
(उपायुक्त आयोग)

*San*

पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधाओं यथा सी0ई0टी0पी0, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कॉमन स्प्रे ड्रायर, कॉमन मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर, बायो डिग्रेडेबल्स, शून्य तरल निर्वहन आदि हेतु प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम:..... वित्तीय वर्ष:.....परियोजना की लागत (रु० लाख).....

क्र०स०	निवेशक/परियोजना का वितरण	
क	कंपनी/साझेदारी/एस०पी०वी०/निवेशक का विवरण	
01	कंपनी/साझेदारी/एस०पी०वी०/निवेशक का नाम	
02	कंपनी/साझेदारी/एस०पी०वी०/निवेशक का पता	
03	कंपनी/साझेदारी/एस०पी०वी०/निवेशक का दूरभाष/ई-मेल	
04	कंपनी निदेशक/निवेशक का नाम एवं पता	
05	कंपनी निदेशक/निवेशक का मोबाईल /दूरभाष/ई-मेल	
06	कंपनी निदेशक/निवेशक का नेट वर्थ	
07	कार्य का अनुभव	
08	उद्योग आधार नंबर (यदि हो तो)	
09	जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन नम्बर	
10	अन्य	

ब	परियोजना का विवरण	
01	परियोजना का नाम	
02	परियोजना स्थल का पूर्ण पता	
03	कुल परियोजना लागत (सी०ए० द्वारा प्रमाणित)	
04	लागत का मदवार विवरण	
4.1	संबंधित भवन की लागत, बाउंड्री वाल व अन्य संबंधित निर्माण	
4.2	मशीनरी/उपकरण आदि की लागत	
4.3	विद्युत संयोजन आदि की लागत	
4.4	अन्य	

संलग्नक: 01) परियोजना की डी०पी०आर०  
02) एग्रीमेंट

*Signature*

Signature of Applicant  
(आवेदक के हस्ताक्षर)

पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधाओं की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट  
जिले का नाम:..... वित्तीय वर्ष:.....परियोजना की लागत (रु० लाख).....

क्र०स०	परियोजना के घटक	आख्या																											
01	परियोजना का नाम																												
02	परियोजना स्थल का पूर्ण पता																												
03	कंपनी / साझेदार / नियेशक का नाम व पता, दूरभाष / ई-मेल																												
04	निरीक्षण की तिथि को परियोजना की भौतिक स्थिति	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अ</th> <th colspan="2">संबंधित पर्यावरणीय अवस्थाना सुविधा</th> </tr> <tr> <th>क्र०स०</th> <th>भूमि विकास</th> <th>पूर्णता / प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>घाउंड़ी ढॉल आदि का निर्माण</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>विद्युत व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सबस्टेशन) यदि लागू हो तो</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>भूमि विकास</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>भवन निर्माण</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>विद्युत संयोजन</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>वांछित प्लांट मशीनरी, उपकरणों की स्थापना की स्थिति</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>अन्य निर्माण</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	अ	संबंधित पर्यावरणीय अवस्थाना सुविधा		क्र०स०	भूमि विकास	पूर्णता / प्रतिशत	01	घाउंड़ी ढॉल आदि का निर्माण		02	विद्युत व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सबस्टेशन) यदि लागू हो तो		03	भूमि विकास		04	भवन निर्माण		05	विद्युत संयोजन		06	वांछित प्लांट मशीनरी, उपकरणों की स्थापना की स्थिति		07	अन्य निर्माण	
अ	संबंधित पर्यावरणीय अवस्थाना सुविधा																												
क्र०स०	भूमि विकास	पूर्णता / प्रतिशत																											
01	घाउंड़ी ढॉल आदि का निर्माण																												
02	विद्युत व्यवस्था (आंतरिक / बाह्य / सबस्टेशन) यदि लागू हो तो																												
03	भूमि विकास																												
04	भवन निर्माण																												
05	विद्युत संयोजन																												
06	वांछित प्लांट मशीनरी, उपकरणों की स्थापना की स्थिति																												
07	अन्य निर्माण																												
05	विगत निरीक्षण एवं आज के निरीक्षण में हुई क्रमिक प्रगति	<table border="1"> <tr> <td>पूर्व में कार्य प्रगति प्रतिशत</td> <td>आज के निरीक्षण में कार्यपूर्ति प्रतिशत</td> </tr> </table>	पूर्व में कार्य प्रगति प्रतिशत	आज के निरीक्षण में कार्यपूर्ति प्रतिशत																									
पूर्व में कार्य प्रगति प्रतिशत	आज के निरीक्षण में कार्यपूर्ति प्रतिशत																												
06	उपादान हेतु संस्तुति																												
07	अभ्युक्ति(क्रमिक प्रगति का आंकलन तकनीकी संस्था / चार्टर्ड इंजीनियर के माध्यम से कराया जायेगा)																												

.....

नाम एवं हस्ताक्षर  
(उपायुक्त उद्योग)